प्रेस नोट
दिनांक 30.11.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल चोरी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से 10 अदद चोरी की मोटरसाईकिलों को किया गया बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–249/24, धारा 379 भादवि से सम्बन्धित मोटरसाईकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त शातिर चोर–01. विजय पाण्डेय पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद नि0 टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02. अमित मिश्रा पुत्र चंद प्रकाश मिश्रा नि0 मंहगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को दुल्लापुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे व निशानदेही से चोरी की 10 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 30.11.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दुल्लापुर क्रासिंग के पास वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0–249/24, धारा 379 भादवि से सम्बन्धित चोरी की मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर प्लस बरामद कर 02 शातिर चोरो–01. विजय पाण्डेय, 02. अमित मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तगणों की निशानदेही से शुगर मिल फैक्ट्री के पास से 09 अन्य चोरी की मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने हेतु जनपद गोण्डा, बस्ती व अयोध्या में मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। इन अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 12.04.2024 को महिला चिकित्सालय से एक स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाईकिल चोरी की थी तथा अन्य मोटरसाईकिलों को अन्य–अन्य जनपदों से चोरी किया था। चुराई हुई मोटरसाईकिलों में कूट रचित नम्बर प्लेट लगाकर अन्य–अन्य स्थानों में जाकर बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. विजय पाण्डेय पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद नि0 टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. अमित मिश्रा पुत्र चंद प्रकाश मिश्रा नि0 मंहगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–249/24, धारा 379 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–408/2024, धारा 2(30),317(2),317(4),319(2),318(4) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. मु0अ0सं0–249/24, धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित 01 अदद स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल नम्बर–यू0पी0 43 आर 8320
02. 01 अदद हीरो स्प्लेण्डर प्लस काले रंग की, नम्बर– यू0पी 42 एम 5631
03. 01 अदद हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस नीले रंग की, नम्बर–यू0पी0 यू0पी 42 एम 5641
04. 01 अदद स्प्लेण्डर प्लस काले रंग की, नम्बर खुरचा हुआ।
05. 01 अदद एच एफ डिलक्स मोटरसाईकिल नम्बर यू0पी0 42 ए0वाई0 5621
06. 01 अदद सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल नम्बर यू0पी0 43 ए0ई0 6143
07. 01 अदद सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल बिना नम्बर।
08. 01 अदद हीरो होण्डा मोटरसाईकिल नम्बर घिसा हुआ।
09. 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल यू0पी043 बीएफ 5446
10. 01 अदद अपाचे मोटरसाईकिल

गिरफ्तार कर्ता टीम–

02. उ0नि0 उत्कर्ष पाण्डेय।
02. उ0नि0 राजीव कन्नौजिया।
03. उ0नि0 संजीव सिंह।
04. हे0का0 विपिन सिंह।
05. हे0का0 राज किशोर।
06. हे0का0 सुनील यादव।
07. का0 अरविन्द यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.11.2024
वार्षिक निरीक्षण थाना को0 मनकापुर

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना को0 मनकापुर का किया गया वार्षिक निरीक्षण, फरियादियों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनकर उनका तत्काल निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देशः–

गोण्डा। आज दिनांक 30.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना को0 मनकापुर का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण से पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना को0 मनकापुर में पहुंच कर गार्द की सलामी ली, तत्पश्चात महोदय द्वारा भोजनालय कक्ष, आवास, थाना परिसर, थाना कार्यालय, विवेचना कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, शस्त्रागार, बैरक व बाउंड्री वाल आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा थाना परिसर को साफ सुथरा रखने तथा कार्यालय में सफाई के साथ रिकार्डो को अद्यावधिक रखने हेतु प्र0नि0 मनकापुर को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा शस्त्रागार में शस्त्रों को नियमित साफ–सफाई करने के साथ–साथ भोजनालय कक्ष में पोषण युक्त भोजन तैयार करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। मिशन शक्ति कक्ष/महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों से महोदय द्वारा वार्ता कर घरेलू हिंसा एवं अन्य महिला सम्बन्धी अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं की काउंसलिंग के समय उनकी क्या भूमिका रहेंगी के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की गयी तथा शिकायतकर्ता को किस प्रकार सुना जायेगा, शिकायत पर किस प्रकार कार्यवाही की जायेगी, नए कानून को किस प्रकार से अमल में लाया जाएगा के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। महोदय द्वारा अपराध रजिस्टर चेक कर प्र0नि0 मनकापुर को अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस गश्त तेज करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही स्प्लेण्डर आरक्षियों की स्प्लेण्डर बुक चेक कर उनके कर्तव्यों के बारे में पूछताछ की गयी। महोदय द्वारा चौकीदारो के साथ संवाद स्थापित कर उनका कुशलक्षेम पूछते हुए उनको कंबल व टार्च वितरित किया गया तथा उन्हें अपराधियों से सम्बन्धित सूचनाओं को प्र0नि0 से अवगत कराने तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह, प्र0नि0 मनकापुर श्री संतोष कुमार मिश्रा सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 30.11.2024

ऑपरेशन "साइबर कवच'' के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा लालबहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोण्डा के छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये–नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच'' अभियान की शुरूआत की गई है। यह ऑपरेशन दिनांक 27.11.2024 से एक सप्ताह तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज अभियान के चौथे दिन अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा लालबहादुर शास्त्री डिग्री कालेज में छात्र–छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ के साथ वर्कशाप का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा महोदय को पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर अपराध की जानकारी देते हुए बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की

जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। इस अवसर पर साइबर सुरक्षा टीम के हरिओम टण्डन, आलोक सविता द्वारा छात्र/छात्राओं को विस्तारपूर्वक व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि को सुरक्षित रखने हेतु बताया गया। अन्त में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने सभी छात्र–छात्राओं व स्कूल के स्टाफ से अपेक्षा की कि वर्कशॉप में दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस–पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इसी दौरान वर्कशाप में उपस्थित स्कूल के छात्र व स्टाफ को पम्पलेट वितरित किये गये तथा स्कूल के अन्य छात्रों को जागरुक करने हेतु पोस्टर एवं बुकलेट उपलब्ध करायी गयी। इसी तरह थाना कौड़िया, उमरीबेगमगंज, परसपुर, नवाबगंज, कटराबाजार, वजीरगंज, धानेपुर के साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने हेतु जागरूक किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 30.11.2024</u>

<u>लूट/छिनैती की घटनाओं का सफल अनावरण, शातिर लूटेरा गिरफ्तार, कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त राइडर मोटरसाईकिल, 01 मोबाइल फोन व 15,210 रूपये नगद बरामद–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे व छपिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0–227/24 धारा 309(4) बीएनएस थाना खोड़ारे, मु0अ0सं0–293/24, धारा 304(2) बीएनएस थाना छपिया से सम्बन्धित घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए शातिर लूटेरे–जेतन कुमार पुत्र रामकेवल नि0 ग्राम अगया बुजुर्ग थाना पैकोलिया जनपद बस्ती को बहेरी चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद पीले धातु की अंगूठी, 02 अदद कान के टप्स, 02 अदद सफेद धातु की छोटी पायल, 02 अदद सफेद धातु की बड़ी पायल, घटना में प्रयुक्त राइडर मोटरसाईकिल व 15210 रू0 नगद बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 14.11.2024 को मोटरसाईकिल सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा घारीघाट नायरा पेट्रोल पम्प थाना खोड़ारे के पास वादी मनोज कुमार तिवारी पुत्र अक्षय कुमार तिवारी नि0 फत्तेपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा की पत्नी से सोने/चांदी के अभूषण व नगदी की लूट की गयी थी। वादी मनोज कुमार तिवारी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष खोड़ारे शशि कुमार राणा द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 30.11.2024 को थाना खोड़ारे व छपिया की संयुक्त टीम द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त जेतन कुमार पुत्र रामकेवल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद पीले धातु की अंगूठी, 02 अदद कान के टप्स, 02 अदद सफेद धातु की छोटी पायल, 02 अदद सफेद धातु की बड़ी पायल, घटना में प्रयुक्त राइडर मोटरसाईकिल व 15210 रू0 नगद बरामद किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>
गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वह आर्थिक लाभ कमाने हेतु लूट/छिनैती की घटनाओं को अंजाम दिया करता है। उक्त अभियुक्त ने थाना खोड़ारे क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना के अतिरिक्त दिनांक 27.11.2024 को साधनगर पुलिया थाना

छपिया के पास एक महिला से छिनैती की घटना कारित कर कान के झाला व पैसे लेकर फरार हो गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत था।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. जेतन कुमार पुत्र रामकेवल नि0 ग्राम अगया बुजुर्ग थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–227/24 धारा 309(4),317(2) बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–293/24, धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद पीले धातु की अंगूठी।
02. 02 अदद कान के टप्स।
03. 02 अदद सफेद धातु की छोटी पायल।
04. 02 अदद सफेद धातु की बड़ी पायल।
05. घटना में प्रयुक्त राइडर मोटरसाईकिल
06. रू0 15,210 नगद

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष छपिया कृष्ण गोपाल राय मय टीम।
01. व0उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा थाना खोड़ारे मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.11..2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से हत्यभियुक्त को हुई आजीवन सश्रम कारावास व रूपए 1,61,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 26.05.2022 विपक्षी नसीम पुत्र रफीक नि0 महाराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा अपनी पत्नी बेबी व सास रेशमा के ऊपर चाकू से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। जिसमें ईलाज के दौरान रेशमा की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी सलमान पुत्र खलील नि0 महाराजगंज नई बस्ती थाना को0 नगर जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में 04 नामजद अभियुक्तों-01. नसीम पुत्र रफीक, 02. शाहरूख पुत्र रफीक, 03. अल्ताफ पुत्र रफीक, 04. श्रीमती बेबी पत्नी रफीक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक निरीक्षक राकेश सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 28.08.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा थाना कर्नलगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक, कोर्ट मोहर्रिर व थाना को0 नगर के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-30.11.2024 को दोषी अभियुक्त नसीम को आजीवन सश्रम कारावास व 1,61,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-
01. नसीम पुत्र रफीक नि0 महाराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-
01. मु0अ0सं0-354/22 धारा 302,307,323,504,506 भादवि थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट– सेवानिवृत्ति</u>
<u>दिनांक– 30.111.2024</u>

<u>जनपद पुलिस से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने वाले 01 उपनिरीक्षक व 03 मुख्य आरक्षी हुए सेवानिवृत्त, पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा शॉल व फूल–माला पहनाकर उज्ज्वल भविष्य की दी गई शुभकामनाएं–</u>

आज दिनांक 30.11.2024 को जनपद गोण्डा पुलिस से 01 उ0नि0 व 03 मुख्य आरक्षी अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान पुलिस लाइन स्थित सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को शॉल व फूल–माला पहनाकर छाता व अन्य धार्मिक पुस्तके भेंट करते हुए विदा किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों से सेवानिवृत्त होने पर उनके द्वारा पुलिस विभाग को दिये गये योगदान की सराहना की गयी एवं सेवानिवृत्ति उपरांत भी पुलिस विभाग का यथासंभव सहयोग करने की अपेक्षा की गयी तथा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी।
<u>इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के परिवारीजन मौजूद रहे।</u>

<u>सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण–</u>
01.उ0नि0ना0पु0 श्री मुरारी सिंह।
02.मु0आ0 श्री विजय कुमार।
03.मु0आ0 श्री परवेज अहमद।
04.मु0आ0 श्री रामजी यादव।

<u>मीडिया सेल गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 30.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा गुरुनानक चौक पर "यातायात जागरुकता कार्यक्रम" में सराहनीय कार्य करने वाले स्कूली बच्चों/पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर यातायात माह का किया गया समापन, वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु किया गया संकल्पित-

गोण्डा। जनपद गोण्डा में 01 नवम्बर 2024 से चल रहे यातायात माह जागरूकता कार्यक्रम का पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा गुरूनानक चौक पर यातायात जागरुकता कार्यक्रम के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले स्कूली बच्चों व ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर समापन किया गया । इस दौरान महोदय द्वारा वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक किया गया । महोदय द्वारा लोगो को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुघर्टना से बचा जा सकता है। हर दिन देश में हजारों लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होते है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यातायात नियमों की अनदेखी करना ही होती है । कम रफ्तार, नियमों का पालन ही आपके सुरक्षित घर पहुंचने की कुंजी है । यातायात माह के इन 30 दिनों में उच्चाधिकारीगण के अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग कर चालकों को यायायात नियमों की जानकारी देते हुए जान जोखिम में न डालने की सलाह दी गयी। पूरे माह उच्चाधिकारीगण, यातायात प्रभारी व उनकी टीम तथा सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों द्वारा जगह-जगह पर स्कूली बच्चों/एनसीसी कैडेट्स के साथ यातायात जागरुकता रैली निकालकर लोगो को यातायात नियमों के बारें में जानकारी दी गयी तथा विभिन्न स्कूलों के अलावा प्रमुख चौराहों व बाजारों में जाकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गयी साथ ही जगह-जगह वाहन चेकिंग करते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों की गाड़ियों का चालान/सीज करने की कार्यवाही की गयी। गोण्डा पुलिस द्वारा यातायात माह नवम्बर में कुल 14 स्कूल/कॉलेजों में जाकर 6500 छात्र/छात्राओं/एनसीसी कैडेट्स को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया तथा आर्थिक रूप से कमजोर 200 दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भेंट किया गया । यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 6,075 वाहनों का चालान करते हुए 13 वाहनों को सीज किया गया तथा 30 ट्रक, 40 चार पहिया व 30 ट्रैक्टर-ट्राली में रिफलेक्टिव टेप को चिपकाया गया।

महोदय द्वारा वहां पर मौजूद लोगों व वाहन चालकों को संबोधित करते हुए यातायात नियमों के पालन करने/कराने का संदेश दिया गया।

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करे।
02. नाबालिग बच्चों का वाहन चलाना वर्जित है।
03. दो पहिया वाहन चालक एवम् पीछे बैठी सवारी का हेलमेट प्रयोग करना अनिवार्य है।
04. चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
05. गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरुद्ध है।

06. गाड़ियों की निर्धारित क्षमता से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
07. दायें बायें मुड़ते समय इण्डिकेटर का प्रयोग करे।
08. वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
09. वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चलें।
11. एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करें।
12. नशीले/मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
13. वाहन चलाते समय सड़क पर स्टंट न करे।
14. सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करें तथा 112 को सूचित करें।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ कुमार वर्मा, प्र०नि० को० नगर श्री मनोज पाठक व प्रभारी यातायात श्री जगदम्बा गुप्ता सहित अन्य अधि०/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।